बाबूलाल बनाम [illegible]

न्यायालय

वाद संख्या TI 200/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	[illegible]	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब [illegible] राज्य [illegible] है, अतः पत्रावली पूर्व [illegible] 24/11/23 को पेश हो।
	[illegible]	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब [illegible] राज्य [illegible] है। अतः पत्रावली पूर्व [illegible] 1/3/24 को पेश हो।
	13/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब [illegible] कार्य में [illegible] है। अतः [illegible] नुसार 25/4/24 को पेश हो।
	[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी सं. 1 लाए। बावजूद सरिश्तेदार [illegible] के अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 लाए के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। अगली बहस 7/9 [illegible] 14/6/24 को [illegible] उपखण्ड अधि[illegible] जयपुर द्वितीय [illegible]

फर्द आदेशनामा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (आमानेर)

वाद संख्या 200/2022 बनाम बाबूलाल रामधन

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। उभय वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फुल श्रमार और धनि जप से का बाद तामील अग्रिम दस्तावेज दी।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (आमानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:10:58 IST
Reason: SelfAttested